भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं॰ 3109

दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल की कमी

3109. श्री राज कुमार चाहरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या फतेहपुर सीकरी पेयजल की अत्यधिक कमी से जूझ रहा है, चूंकि यहां उपलब्ध जल फ्लोराइड के उच्च स्तर से संदूषित है, जो क्षेत्र के निवासियों हेतु गंभीर स्वास्थ्य संकट भी उत्पन्न कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा परिकल्पित योजनाएं क्या हैं;
(ग) क्या सरकार इस समस्या को दूर करने हेतु अंतरराष्ट्रीय एजेन्सियों/बहु–पक्षीय एजेन्सियों/राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों के साथ उनकी सहायता से कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इस मुद्दे के समाधन हेतु कोई समय–सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रविष्ट सूचना के अनुसार, फतेहपुर सीकरी में कोई भी फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बसावटें नहीं है। फतेहपुर सीकरी में सभी फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में टीटीएसपी (टैंक टाइप एकल पोस्ट) और गहरा हैंड पंप उपलब्ध कराया गया है तथा सात बसावटों में फ्लोराइड निपटान इकाईयां (एफआरयू) भी उपलब्ध कराई गई हैं।

(ग) से (घ) पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें ही स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, निष्पादन, प्रचालन और रख-रखाव करती हैं।

मार्च, 2016 के दौरान, नीति आयोग की सिफारिश से, सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना हेतु विभिन्न आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को 1000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य को 13.39 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे। इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने देश में 27,544 आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी के तहत 22 मार्च, 2017 को राष्ट्रीय जल गुणवत्ता उप-मिशन (एनडब्ल्यूक्यूएसएम) की शुरूआत की थी। उत्तर प्रदेश राज्य को अब तक 49.95 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।